प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 25 जुलाई,2025

विषय :- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र पुत्र श्री मुकन्दलाल, निवासी जनपद-सहारनपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025/(बैठक दिनांक-21.01.2025) दिनांक-30-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र पुत्र श्री मुकन्दलाल, निवासी-ओजपुरा, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक 03.06.2001 को जमीनी विवाद के चलते अभियुक्त ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर उसके पति राजवीर, पुत्र मनीष, आशीष तथा वादिया के भाई विनोद सहित 04 लागों की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0- 885/2001, भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,452 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-2, सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 14.01.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष, 07 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 14.01.2025 तक बंदी की आयु लगभग 57 वर्ष है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनाक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी पुनः अपराध कर सकता है। (3) बंदी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य है अतः बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध रखना सार्थक प्रयोजन प्रतीत होता है। (5) बंदी की समाजिक व आर्थिक दशा सही नहीं होने व पुनः अपराध करने की आख्या का अंकन करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 03.06.2001 को जमीनी विवाद के चलते अभियुक्त ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर उसके पति राजवीर पुत्र मनीष, आशीष तथा वादिया के भाई विनोद सहित 04 लागों की गोली मारकर हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र पुत्र श्री मुकन्दलाल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र (बन्दी संख्या-9663) पुत्र श्री मुकन्दलाल, निवासी जनपद-सहारनपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-843/2025/572(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।